

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 282/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
इण्डियन बैंक शाखा 11/1 गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

**बनाम**

1. श्री कमल कारगवाल पुत्र श्री गोकुल कुमावत  
पता :- बी-34, सुन्दर नगर, वीर तेजाजी रोड के सामने, गुलियावास, मानसरोवर, जयपुर।  
एवं प्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लाट नम्बर 75-76, आवासीय योजना, शिव शक्ति विहार,  
ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती कीर्ति कुमावत पत्नी श्री कमल कारगवाल  
पता :- बी-34, सुन्दर नगर, वीर तेजाजी रोड के सामने, गुलियावास, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under Section 14 of the Securitization and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री संजय सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.02.2022.


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कमल कारगवाल पुत्र श्री गोकुल कुमावत के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लाट नम्बर 75-76, आवासीय योजना, शिव शक्ति विहार, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर सुपर बिट्ट अप क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट को बन्धक रख कर 18,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 18,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 19,89,689.90/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.04.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी कमल कारगवाल पुत्र श्री गोकुल कुमावत के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 75-76, आवासीय योजना, शिव शक्ति विहार, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर सुपर बिल्ड अप क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (सज्जन विशाल)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर